

6/22 2012
 एकाधिकार नर राज्य मंत्रालय

क्र.सं.	विनांक आहवा या कार्यवाही	आहवा विस्तृत रूप से
	<p>20/4/22</p> <p>मा.डी.अ. प्र.सं.</p> <p>U.T for 4/5/22</p> <p>अ.सं. 234</p> <p>20/4/22</p>	<p>वकील लक्ष्मी उपनिषत् / क.सं. 2 व. 3 (कै.पु.) प्रतीपद तथा क.सं. 2, 3, पू.सी. मोर से श्री सुनील सुकल अथवा प.त.डी. प.सं. पेरा होने पर कालांतरात् जवाब द्या. 19 व. सुनील सुकल अथवा क.सं. 1 की हेतु विवेक न.सं. 2 को देना है।</p> <p>शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p> <p>आहवा प्राप्त उपस्थित / अभिभावक उपाय न्यायिक कार्य स्थगित करा / P.O. आहवा अन्य प्रशासनिक कार्य 23/5/22 पत्रावली गता आदेशानुसार दि. 23/5/22</p>
	<p>23/5/22</p>	<p>वकील लक्ष्मी उपनिषत् / क.सं. 2, से पू.सी. मोर से श्री सुनील सुकल एडवोकेट ने कालांतरात् पेरा किया क.सं. 2, 3 का कालांतरात् रूप का के स्थगित नहीं है। क.सं. 1 के विकेट पर वकील कार्यालय के ताल में कार्यवाही है। वकील उपाय को जो पर 09 R.S. CPC पर हुना अ.सं. वकील उपनिषत् / क.सं. न. के ही आपत्ति नहीं होगी जाहिल किया। क.सं. 2 का भी कार्य पर कालांतरात् चारा 09 R.S. CPC ही किया जाता है। कालांतरात् के पुनः न.सं. पर किया जाता है। पत्रावली के ताल हुना न.सं. के कालांतरात् तथा कालांतरात् के कालांतरात् रहे।</p> <p>सप खण्ड न.सं. 1 शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p>